



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



24 AASHWIN, 1945 (S)

No. 607

RANCHI, MONDAY 16TH OCTOBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
16TH October, 2023

Notification No.- 8/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 38, Dated 16th October, 2023-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017, namely: -

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year ____ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year ____ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism ” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 27th July, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification no. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification no. 02/2023 - State Tax (Rate), dated the 5th June, 2023 published in the official gazette vide S.O. No. 25, dated the 5th June, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना सं०. 8/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 38, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने/हमने जेजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ----- के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।" के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने/हमने जेजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष ----- से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एसटी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट :प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023 -राज्य कर (दर), दिनांक 5 जून, 2023, एस. ओ. सं. 25, दिनांक 5 जून, 2023 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।
